

क्रमांक :- प.2(1)साप्र/2/2012

-: आदेश :-

जयपुर, दिनांक

8-812

श्री सुनील धारीवाल, आर.ए.एस , अतिरिक्त निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 54/95 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2014 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या ग/13, गांधीनगर, जयपुर का। (रिक्त होने की प्रत्याशा ) में नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

- OIC (Web)  
21-812*
1. आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
  2. उक्त आवास का किराया राजस्थान स्थिरिल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
  3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
  4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
  5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
  6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञाय हो तो रोक दिया जायेगा।
  7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
  8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आसरीत किसी अन्य सदर्शक के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
  9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

३

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सभागीय आयुक्त, जयपुर/जयपुर।
2. निदेशक, हरिश्चन्द्र मधुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गाँधीनगर, जयपुर।
9. निदेशक, उद्यान विज्ञा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. श्री सुनील धारीवाल, आर.ए.एस , अतिरिक्त निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव
15. निजी सहायक, शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

  
(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव